

मापी अभिलेख सं० 03/13-14  
 आवेदक — शकुन्ता देवी  
 पिता/पति — श्री परमानन्द सिंह  
 सा० — गौविन्दपुर  
 जिला — धनबाद

तिथि	आदेश	अभुक्ति
2.4.13	<p>आवेदिका श्रीमती शकुन्ता देवी पति - श्री परमानन्द सिंह सा० - गौविन्दपुर जिला - धनबाद के हाथ मौजा गौविन्दपुर भानानं 293 खातानं 06 प्लॉट नं 131 रकवा 5 डी. भूमि कलने हेतु आवेदन दिया गया है। उक्त आवेदन पत्र पर हफ्ता कार्यालयी का जॉब प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदन दिया गया है। डि. मौजा गौविन्दपुर भानानं 293 खातानं 06 प्लॉट नं 131 रकवा 05 डी. भूमि राज्य कागजात के अनुसार रैपती खाते की भूमि है। पंजी 11 के जमावदी सं 209 के अवकाश से स्पष्ट है डि. उक्त भूमि का कां. खा. सं. 120/सा. 06-07 के अनुसार नामांतरण होकर आवेदिका के नाम से पंजीन बंधनी होता है। तथा वर्ष 2011-12 तक पंजीन बंधनी निर्गत है। उक्त भूमि का मापी गुण्य जमा करने के पश्चात मापी करने हेतु अनुमोला दिया गया है। हफ्ता कार्यालयी एवं अंचल निरीक्षक के जॉब प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक से एक डिग का मापी गुण्य प्राप्त करने के पश्चात मापी हेतु अंचल अतीत को प्रतिनिधुक्त करें।</p>	
3.9.15	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। आमजद समीची अंचल अतीत नों प्रतिवेदन किया गया है डि. मौजा - गौविन्दपुर मौजा नं 293 खाता नं 06 प्लॉट नं 131 रकवा 5 डी. भूमि मापी हेतु खसम पर जमा आवेदिका के पति - परमानन्द सिंह सा० - गौविन्दपुर के आवेदन आजाद रमियों मुजीब खान मोतीखान खानी मुईन खान एवं अचल अतीत उपस्थित हैं। मापी के काम में पाया गया आवेदिका शकुन्ता देवी का जमीन प्लॉट नं 131 मुख्य रोड के बीच प्लॉट नं 130 है जिसपर आवेदिका शकुन्ता देवी एवं पति परमानन्द</p>	<p>अंचल अधिकारी      साक्षमाच</p>

मुरशीद खान मकान एवं दुकान बनाये हुए हैं। इसी प्लॉट  
 नं० 1301 भूमि पर दोनों पक्षों के बीच पाँच फीट का रास्ता  
 है। जब मैंने दोनों पक्षों से प्लॉट नं० 130 का कागजात  
 की मांग किया पर दोनों पक्षों ने कागजात नहीं दिखाया  
 इसी पाँच फीट रास्ता पर मुरशीद खान द्वारा खड़ी बनाने  
 के कारण विवाद उत्पन्न हो गया है।

अतः इस अभिलेख की कार्टवर्ड -  
 की जारी है।

अंचल अधिकारी  
 बाधमाच

(Faint, mostly illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page)